

अति आवश्यक

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चक्रराता रोड, देहरादून।

पत्रांक 464 / 111(1)–मृतक आश्रित नियुक्ति–2013

दिनांक 29 जनवरी, 2014

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

विषयः— उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संयुक्त वरिष्ठता सूची के अनुरूप मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा मृतक आश्रितों की संयुक्त वरिष्ठता सूची के क्रमांक 151 से 200 तक के प्रकरणों में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर निगम मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 25-1-2014 को परीक्षण किया गया तथा परीक्षणोपरान्त निगम मुख्यालय स्तर से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती हैः—

1— नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरण जिनमें नियुक्ति दी जानी है, के मूल अभिलेखों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे एवं निगम मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र संख्या—196 दिनांक 5 अगस्त, 2013 एवं मृतक आश्रित सेवा नियमावली—1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत आश्वस्त होने पर ही सम्बन्धित मृतक आश्रित को परिचालक/चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। साथ ही नियमावली एवं समय—समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार “कुटुम्ब” की परिभाषा के अन्तर्गत अर्ह मृतक आश्रित की नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर नियुक्ति प्राधिकारी के साथ—साथ मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) भी उत्तरदायी माने जायेंगे।

उत्तराचल शासन कार्मिक अनुभाग—2 संख्या 1633 / XXX(2) / 2004 देहरादून, 08 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना के द्वारा “कुटुम्ब” को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है।

“कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः—

- (1) पत्नी या पति,
- (2) पुत्र,
- (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रिया,
- (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

2— नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरणों में जिनमें मृतक के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो उनमें सभी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथ पत्र प्राप्त करके ही नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

- 3— समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मुख्यालय स्तर से मण्डलीय प्रबन्धकों को मृतक आश्रित की नियुक्ति की औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु जो प्रोफ्रार्मा पूर्व में भेजा गया है, उसी प्रारूप में मृतक आश्रित को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु अपने कार्यालय में बुलायें तदनुसार सभी औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरन्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।
- 4— नियुक्ति प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मृतक आश्रित का पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा उसके उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित मृतक आश्रित द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य सेवा सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति के पश्चात अधिकतम एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5— जिन मृतक आश्रितों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाये उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये हैं अथवा दाखिल किये जायेंगे वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरुद्ध अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। उनके द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जाये वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित करते हुये उस पर तिथि भी अंकित की जाये।
- 6— समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि नियुक्ति किये जाने वाले सभी मृतक आश्रितों से इस बात का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा किसी न्यायालय में मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित मृतक आश्रित उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होंगे।
- 7— मण्डलीय प्रबन्धकों द्वारा प्रेषित कुछ प्रस्तावों में नियुक्ति दिये जाने अथवा न दिये जाने की कोई संस्तुति नहीं की गई है। भविष्य में तीनों मण्डलीय प्रबन्धकों के स्तर से मृतक आश्रितों के जो प्रकरण मुख्यालय संदर्भित किये जाये उसमें नियुक्ति दिये जाने अथवा न दिये जाने की स्पष्ट संस्तुति अंकित की जाये।
- 8— जिन मृतक आश्रितों की चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाये उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में प्रचलित नियमावली अन्तर्गत निम्न अहंतायें अवश्य देख ली जायें तथा नियमानुसार मण्डलीय चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
- (क)— अभ्यर्थी को कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (ख)— अभ्यर्थी को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष पुराना लाईसेन्स जिसमें सार्वजनिक सेवा यान चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना पृष्ठांकन एवं हिल पृष्ठांकन आवश्यक होगा।

ऊँचाई:-

(अ)– मैदानी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 5 इंच।

(ब)– पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 2 इंच।

इसी प्रकार मृतक आश्रितों के परिचालक पद पर नियुक्ति से पूर्व उनके परिचालक लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखों आदि की जाँच भी कर ली जाये।

- 9– समिति द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि जिन मृतक आश्रितों के प्रकरण में मुख्यालय/मंडलीय स्तर से अनापत्ति नहीं दी गई है ऐसे प्रकरणों में डिपो/मंडलीय स्तर से सम्बन्धित मृतक आश्रितों को लिये गये निर्णय से तत्काल अवगत करा दिया जाये। इस कार्य में कोई विलम्ब न किया जाये।
- 10– सभी मृतक कार्मिकों जिनके आश्रितों को नियुक्ति दी जानी है की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली का भी अवलोकन कर मृतक आश्रित के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों को देख लिया जाये।
- 11– मण्डलीय प्रबन्धकों द्वारा प्रेषित कुछ प्रस्तावों में मृतक आश्रित के विवरण में नाम, उम्र, मृत्यु की तिथि, जन्मतिथि, मृतक से सम्बन्ध आदि या तो गलत अंकित किये गये हैं या स्पष्ट नहीं है। ऐसे प्रकरणों में यथा आवश्यक संशोधन कर लिया जाये।

समिति द्वारा तीनों मण्डलों से संयुक्त वरिष्ठता सूची के क्रमांक 151 से 200 तक प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार अनापत्ति/आपत्ति दी गई।

क्रसं	मृतक का नाम	संयुक्त वरिष्ठता सूची का क्रमांक	मण्डल का नाम	मण्डलीय प्रबन्धक की संस्तुति	मुख्यालय स्तर पर संस्तुति
1	स्व० प्रेम सिंह	151	टनकपुर	पूर्व में चालक पद पर नियुक्ति हेतू संस्तुति की गई थी पुनः कार्यालय पत्र सं० 693 दिनांक –16-1-2014 के द्वारा अवगत कराया गया कि ड्राविंग लाईसेन्स हिल दिनांक- 30-7-2011 को हुआ है जो निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत नहीं है।	चूंकि मृतक आश्रित द्वारा निधारित अवधि के अन्दर हिल पृष्ठाकन नहीं कराया गया है। अतः इनके प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना होगा।

